<u>संख्या- 35/2022/131/23-10-22-37(सा0)/2021</u>

प्रेषक,

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

<u>लोक निर्माण अनुभाग-10</u> <u>लखनऊ दिनांक 30 मार्च,2022</u>

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद जौनपुर एवं जनपद सोनभद्र के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-502/राज्य योजना (नये कार्य मॉग)/2021-22 दिनांक 28.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद जौनपुर एवं जनपद सोनभद्र के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-11 में अंकित कुल रू0 2308.29 लाख (रूपये तेईस करोड़ आठ लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>(धनराशि लाख रू0 में)</u>

de l0	tuin dk uke	[k.M dk uke	dk;Z dk uke	dy ykxr	lrfuxe va'k	foRrh; o"k 2021&22 e iFke fdLr vkoVu ¼lrfuxe½	v|ru vo'k"k ¼lr fuxe½	foRrh; o"k 2021&22 e आवंटन /kujkf'k dh QkV ¼lr fuxe½		
								vu0&57	vu0&83	;kx ¼9$11½
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	tkuij	fu0[k0&2] yk0fu0fo0 y[kuÅ okLrq lrfuxe	जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर प्यारेपुर से अलीगंज बाजार के निकट कलीचाबाद पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक निर्माण कार्य	2993.31	2993.31	748.33	2244.98	589.21	158.61	747.82
2	lkuHkn		जनपद सोनभद्र में ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओबरा थर्मल पॉवर के निकट (राखी सेतु के पास) रेनु नदी पर सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य	7325.43	7325.43	1831.36	5494.07	1229.49	330.98	1560.47
			lrfuxe ;kx&	**10318.74**	**10318.74**	**2579.69**	**7739.05**	**1818.70**	**489.59**	**2308.29**

अवमुक्त धनराशि रू0 2308.29 लाख (रूपये तेईस करोड़ आठ लाख उनतीस हजार मात्र)

क्रमशः :

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- उक्त सेतुओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 35/2022/131(1) /23-10-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
(3) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(4) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2@गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।